उत्तर प्रदेश शासन

पर्यटन अनुभाग

संख्या- 16 /2018/788/41-2018-30 सा0/2017

लखनऊ, दिनांक: 28 फरवरी, 2018

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कुम्भ के आध्यात्मिक महत्व को परिलक्षित करने एवं कुम्भ मेला-2019 के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु कार्यालय-ज्ञाप सं0- 64/2017/4067/41-2017-30 सा0/2017 दिनांक 12 दिसम्बर, 2017 द्वारा कुम्भ मेला-2019 के लिये निम्नलिखित विशिष्ट तत्वों का समावेश किये जाने का आदेश निर्गत किया गयाः-

(अ)	कुम्भ की टैगलाइन- "सर्वसिद्धिप्रदः कुम्भः" होगी। अर्थात् कुम्भ समस्त सिद्धियों का प्रदाता है।
(ब)	मेले की महानता एवं विराटता के दृष्टिगत "अर्द्धकुम्भ" एवं "कुम्भ" के स्थान पर इसका नामकरण क्रमशः "कुम्भ एवं महाकुम्भ" किया गया है तथा इन्ही नामों से इसे प्रचारित तथा प्रसारित किया जायेगा।
(स)	कुम्भ मेला-2019 के लिये स्वीकृत प्रतीक चिह्न (LOGO) में "स्वास्तिक" के साथ गंगा एवं यमुना नदियों को चित्रित करते हुये उन पर "कुम्भ" की स्थापना की गई है, जिससे कुम्भ के विराट स्वरूप तथा उसके सारतत्व का आभास हो सके।
(द)	कुम्भ के उक्त स्वीकृत प्रतीक चिह्न (LOGO) का प्रयोग भी तत्काल समस्त राजकीय पत्रों, राजकीय लेटर हेड तथा प्रचार-प्रसार सामग्री में सभी विभागों द्वारा अनिवार्य रूप से किया जायेगा।

2. सम्यक् विचारोपरान्त उक्त कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 12.12.2017 के प्रस्तर-1 के बिन्दु (स) में उल्लिखित निर्णय को संशोधित करते हुए उसके स्थान पर निम्नवत् निर्णय लिया जाता हैः-

"कुम्भ मेला-2019 के लिये स्वीकृत प्रतीक चिन्ह (LOGO) में "ॐ" के साथ गंगा एवं यमुना नदियों को चित्रित करते हुये "कुम्भ" की स्थापना की गई है, जिससे कुम्भ का विराट स्वरूप तथा सारतत्व पूर्णरूप से परिलक्षित हो सके।" (संशोधित प्रतीक चिन्ह संलग्न)

3. कुम्भ मेला-2019 के प्रतीक चिन्ह (LOGO) में "स्वास्तिक" के स्थान पर "ॐ" का अंकन किये जाने का निर्णय इस आधार पर लिया गया है कि "ॐ" प्रतीक चिन्ह (LOGO) समृद्धि का परिचायक होने के कारण बेहतर है तथा इससे कुम्भ का विराट स्वरूप एवं सारतत्व पूर्णरूप से परिलक्षित हो सकेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4. उक्त के अतिरिक्त प्रयागराज इलाहाबाद में कुम्भ मेला-2019 के प्रतीक चिन्ह एवं अन्य विशिष्टियों के निर्धारण/संशोधन पर निर्णय लिये जाने हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी को अधिकृत होंगे।

5. उपर्युक्त संशोधन के अतिरिक्त उक्त कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 12.12.2017 में उल्लिखित अन्य निर्णय यथावत रहेंगे।

संलग्नक-यथोक्त।

(अवनीश कुमार अवस्थी)
प्रमुख सचिव

संख्या-16/2018/788(1)/41-2018-30 सा0/2017 तद्दिनांक::

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन ।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0।
4. प्रमुख सचिव श्री राज्यपाल उ0प्र0।
5. प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
6. प्रमुख सचिव विधान परिषद/विधान सभा, उ0प्र0।
7. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
8. महानिदेशक, पर्यटन, उ0प्र0, लखनऊ।
9. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ
10. निदेशक, सूचना विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
11. प्रभारी अधिकारी कुम्भ मेला।
12. समस्त अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
13. वेब अधिकारी।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ए0पी0 सिंह)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasan...c.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।